नैतिकता और कानून

प्राचीन समय में कानून को नैतिकता से पृथक नहीं माना जाता था। प्राचीन भारत में धर्म शब्द कानून और नैतिकता दोनों के लिए प्रयुक्त होता था और यूनानी विचारधारा में भी कानून और नैतिकता को एक दूसरे से अभिन्न तक माना जाता था। प्लेटो के कथन अनुसार "सर्वश्रेष्ठ राज्य है जो व्यक्ति के सदाचार और धर्म परायणता के अधिकाधिक समरुप हो"। अरस्तु का कथन है कि " राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए है" परंतु कालांतर में जब राज्य ने एक स्पष्ट राजनीतिक संगठन का स्वरूप प्राप्त कर लिया तो कानून ने सत्ता के आदेश का रूप धारण किया और इसका स्वरूप बहुत कुछ सीमा तक नैतिकता से भिन्न हो गया।

कानून और नैतिकता में अंतर

कानून और नैतिकता में महत्वपूर्ण और आधारभूत अंतर बताए गए हैं जो निम्नलिखित है

1. नैतिकता का क्षेत्र कानून की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है। नैतिकता का संबंध मनुष्य के बाहरी तथा आंतरिक संपूर्ण जीवन के साथ होता है ,परंतु कानून का संबंध व्यक्ति के केवल बाहरी आचरण के साथ होता है। यह सत्य है कि कानून कभी-कभी व्यक्ति के आंतरिक भागों का भी अध्ययन करता है परंतु ऐसा केवल पृष्ठभूमि के रूप में और बाहरी आचरण के उद्देश्य निश्चित करने के लिए किया जाता है।
2. कानून राज्य की शक्ति द्वारा बनाए जाते हैं परंतु नैतिक नियमों के पीछे इस प्रकार का कोई क्षति नहीं होता है। उनका पालन तो व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से ही करता है। यदि कोई कानून को ना माने तो उसे राज्य द्वारा अवश्य ही दंडित किया जाएगा परंतु यदि कोई नियमों का पालन ना करें तो उसे इस प्रकार का कोई दंड नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक समाज के द्वारा उसे घृणित दृष्टि से देखा जा सकता है।
3. कानून और नैतिकता में यह भी अंतर है कि कानून निश्चित और सर्वव्यापी होते हैं अर्थात सभी नागरिकों पर एक जैसे लागू होते परंतु नैतिक नियम अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और नैतिकता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन अथवा अंतरात्मा के आदेश हैं। मैं कई बार के शब्दों में सब व्यक्तियों के लिए केवल एक ही कानून का होना आवश्यक है,किंतु नैतिक नियम प्रत्येक व्यक्ति के अपने आचरण तथा सौभाग्यवती होने के कारण प्रत्येक के लिए भिन्न है।

4. सभी अनैतिक बातें गैरकानूनी नहीं होती सभी गैर कानूनी बातें आवश्यक रूप से अनैतिक नहीं मानी जा सकती। उदाहरण के लिए दूसरों के अमंगल की कामना करना अनैतिक है परंतु गैरकानूनी नहीं। इसी प्रकार झूठ बोलना नैतिक नहीं है किंतु जिस छूट का प्रयोग दूसरों की धोखा देने के लिए नहीं किया जाता है गैरकानूनी नहीं होता। इसके वि बड़े नगर नगर की व्यस्त सड़कों पर दाहिनी ओर गाड़ी चलाना एक सामाजिक अपराध और कानूनी द्वारा निषिद्ध है। परंतु इस प्रकार का कार्य गैरकानूनी होते हुए भी अनैतिक नहीं है। राज्य के इस प्रकार के कानून नैतिकता की अपेक्षा व्यवहारिक सुविधा पर आधारित होते हैं।

घनिष्ठ संबंध परंतु कानून और नैतिकता में इतना अंतर होते ही इन दोनों का संबंध सदैव से बहुत घनिष्ठ रहा है आधुनिक काल का राजनीतिक दर्शन भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य स्वभाव एक नैतिक प्राणी है और यह केवल राज्य के भीतर रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है ,क्योंकि राज्य के नैतिक जीवन की सर्वोच्च स्थिति है।कानून और नैतिकता का संबंध अनेक रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है।

सर्वप्रथम, कानून समाज में प्रचलित नैतिक विचारों की ही देन होते हैं और कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत नैतिकता होती है वस्तुतः जब नैतिक विचार स्थाई और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं नागरिकों के द्वारा केवल उन्हें कानूनों का अच्छे प्रकार से पालन किया जा सकता है। जो उनके नैतिक विचारों के अनुकूल हो कानून प्रायः नैतिकता के प्रतिबिंब होते हैं और इस संबंध में गैटल का कथन है कि “,जो कानून लोगों की नैतिक धारणा के अनुकूल नहीं होते, उन्हें लागू करना असंभव हो जाता है तथा जो कानून प्रचलित नैतिक स्तरों को नहीं छूते ,लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं।“ इसी प्रकार विल्सन ने लिखा है कि “ कानून देश की आर्थिक प्रगति के दर्शन होते हैं।“ यद्यपि बाल विवाह को संपूर्ण भारत में और मदय निषेध को भारत के एक बड़े भाग में कानून निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, किंतु फिर भी यह बुराइयां विद्यमान है क्योंकि भारतीय समाज की नैतिक धारणा बाल विवाह और मद्यपान के पूर्णतया विरुद्ध नहीं है।

द्वितीय:, कानून के द्वारा भी नैतिक स्तर और विचारों को परिमार्जित करने का काम किया जाता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा निषेध कानून ने इस संबंध में नैतिक मान्यता को परिमार्जित किया है और बाल विवाह के संबंध में नैतिक मान्यता को प्रभावित किया जा रहा है।

तृतीय, व्यवहार में कानून और नैतिकता एक दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करते हैं नैतिकता के द्वारा व्यक्ति के विचार और आचरण को सुधार कर कानून के पालन हेतु आवश्यक मनोभावना उत्पन्न की जाती है। तो दूसरी ओर कानून नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करती है। जैसा कि बार्कर का कथन है," कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चहारदीवारी है।"

नैतिकता और कानून में इतना सादृश्य है कि कई बार अवैध और अनैतिक की विभाजन रेखा को पहचानना कठिन हो जाता है। जो बात आज अनैतिक है वह कल अवैध हो सकती है, या जो बात आज अवैध है वह कल अनैतिक भी हो सकती है। कानून और नैतिकता परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और अगर ब्राउन के शब्दों में कहा जा सकता है कि "राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांत बाद अपूर्ण रह जाता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ,वह समाज से अलग नहीं रह सकता नैतिक सिद्धांतों के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक रह जाते हैं क्योंकि उसका अध्ययन और उसके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं।"